

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....

आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार.../नायब तहसीलदार... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान न-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम... तहसील... जिला... की जमावन्दी सम्वत... में खाता संख्या... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
	USAD	48	प.न. 162/342 पु.न. 8 6-1998-नएडी / वारावाली में देव न्युमुमा आ. देवीलाल हिजा 1/2 पति अक्षय आ-वारावाली शहिन 1/2 SBBJ शम्भू श्यामदेव दप	प.न-162/342 पु.न. 8 6-1998-नएडी वारावाली में देव न्युमुमा आ. देवीलाल 1/2 पति अक्षय आ. वारावाली शहिन 1/2 SBBJ शम्भू श्यामदेव

(Signature)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर एवं
पदेन सहा. कलक्टर रायसिंहनगर

दिनांक :- 22/12/2023

अंश :- 594

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार रायसिंहनगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद शीत 1998 जायज पालन रिपोर्ट गिणवाये।
2. प्रार्थी को सूचना है।
3. अक्षय पटवारी।

(Signature)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर एवं
पदेन सहा. कलक्टर रायसिंहनगर

